सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 22, बुधवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 13, 2023
Agrahayana 22, Wednesday , Saka 1945- December 13 , 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 09, 2023

संख्या प. 2(32)वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है:-

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है,

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहूंचाने की आशंका है,

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 14, 17, 18, 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसारण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाषित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बन्जर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण/क्षैत्रफल हैक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	
1	करगेट 'अ'	गिर्वा	उदयपुर	उत्तर- काश्त भूमि ग्राम करगेट	आ.न. 2589/3	12.50
					आ.न. 2589/2	75.00
				दक्षिण- वनभूमि वनखण्ड करगेट/सन्तु	आ.न. 2589/1	25.2475
				पूर्व- काश्त भूमि ग्राम करगेट	आ.न. 3053/2591	9.1905
				पश्चिम- काश्त भूमि ग्राम करगेट	आ.न. 3061/2591	1.3443
					किता 05	**123.2823 है.**

(मो0 इस्माईल शेख)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुर (पुर्व)

(अजय चित्तोड़ा I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड- "करगेट-अ"

में आने वाले पेडो की सुची

क्र.सं.	अन्तराष्ट्रीय (लेटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	Acacia catechu (L.f) willd.	खैर ,खेड़ा	Mimosaceae
2	Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.	रौंझ, अरूझिया	Mimosaceae
3	Acacia nilotica (Linn.) Willd.	बोलिळा ,बबूल	Mimosaceae
4	Acacia senegal (Linn.) Willd.	कुमठा	Mimosaceae
5	Adina cordifolia (Willd. Ex Roxb.) Hook	हल्दु	Rubiaceae
6	Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill.	धोंक	Combretaceae
7	Anogeissus latifolia (Roxb.ex DC.) Wall.	धावडा	Combretaceae
8	Azadirachta indica A.Juss	नीम	Meliaceae
9	Bombax ceiba Linn.	सेमल ,सेमला	Bombacaceae
10	Boswellia serrata Roxb.ex Coleb.	सालर	Burseraceae
11	Cassia fistula Linn.	अमलतास, बरडावन, करमेला	Caesalpiniaceae
12	Dalbergia sissoo Roxb.	शीशम	Fabaceae
13	Phoenix sylvestris (L.) Roxb.	खजूर	Arecaceae
14	Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.	खिरना, दूधी ,खन्नी	Apocynanceae

(मो0 इस्माईल शेख)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुर (पुर्व)

(अजय चित्तोड़ा I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

परिषिष्ट-'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

वन खण्ड - करगेट 'अ'

रेन्ज - उदयपुर (पूर्व)

वन मण्डल - उदयपुर (उत्तर)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि निम्न तीन प्रत्यावर्तन प्रकरणो N.H.A.I., NH-8, गोमती चैराहा से उदयपुर, N.H.A.I., NH-79, किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद व उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद के मध्य आमान/गेज परिवर्तन के प्रत्यावर्तन के विरूद्ध ग्राम करगेट तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 2589/2 रकबा 75.00 हैक्टर, 2589/3 रकबा 12.50 हैक्टर, 2589/1 रकबा 25.2475 हैक्टर, 3053/2591 रकबा 9.1905 हैक्टर एवं 3061/2591 रकबा 1.3443 हैक्टर भूमि वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम पायती है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षैत्रों में विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन् कार्य नहीं हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. इस क्षैत्र में पौधारोपण/विकास कार्य करवाया गया है तथा कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में इस क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/ विकास कार्य कराए जाना प्रस्तावित है।
4. भूमि पर वृक्षों की घनत्व कुछ क्षैत्रों में 0.2 प्रतिशत है। तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों झाडियों का लगभग 0.2 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र वनखण्ड करगेट (वन) भूमि है तथा चारों ओर की सीमा का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वाछिंत मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमा स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया

गया है। प्रस्तावित क्षैत्र को जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब तक उल्लेखित वन क्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्व हो सकें।

8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(मो0 इस्माईल शेख)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुर (पुर्व)

(अजय चित्तोड़ा I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।